एस0सी0 / एस0टी0 – 224 / 17

किशनपुर थाना काण्ड सं0 329 / 17

दिनांक 26.11.2018

अभियुक्त जगती यादव, यदुनन्दन यादव, शिव नन्दन यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत आवेदन दाखिल किये है जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, प्रार्थी को गांव के गन्दी राजनीति के कारण इस केस में झुठा फंसाया गया है, प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप में धारा 384, 385 भा0द0वि0 एवं एस0सी0 / एस0टी0 को छोड़कर अन्य सभी आरोप जमानतीय है, दोनों पक्ष के बीच जमीन संबंधी विवाद है, जिसके कारण प्रार्थी को झुठा फंसाया गया है, प्रार्थी के विरूद्ध लगया गया आरोप नहीं बनता है, प्रार्थी जगती यादव 72 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है, इस वा के सह अभियुक्त पप्पु कुमार को पूर्व में जमानत दिया जा चुका है, किस दिन के घटना को लेकर यह प्राथमिकी दर्ज कराया गया है यह प्राथमिकी में स्पष्ट नहीं हैं, प्रार्थी न्यायालय का हर शर्त मानने को तैयार है। अतः जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया प्रस्तुत वाद सूचक राम नारायण राम के लिखित आवेदन के आधार प्रार्थीगण सहित कुल 04 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341,323,385,384,386,504,506,34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(r)(s)(g) एस0सी0 / एस0टी0 अधि0 के अंतर्गत किसनपुर थाना काण्ड सं0 329 / 17 दर्ज किया गया है जिसमें सूचक का कहना है कि किसनपुर थाना मौजा असनपुर कुपहा के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2003–04 में 103 डी0 प्राप्त जमीन का अद्यतन रसीद प्राप्त है। प्राप्ति तिथि से जमीन जोत आवाद करते आ रहा था। वर्ष 2006 से अभियुक्तगण सूचक के उक्त जमीन से बेदखल करने के नियत से गाली गलोज साला चमरवा तुम यहां जमीन नहीं जोत सकता, कहकर मारीपट करते रहा। इस संबंध में सूचक लिखित शिकायत अंचालाधिकारी महोदय किसनपुर एवं अन्य वरीय पदाधिकारी को देते रहा दिनांक 02.01.2007 को अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल में धारा 144 कानून अंतर्गत सूचक के पक्ष में आदेश भी पारित किये। लोक शिकायत निवारण कानून के तहत दिनांक 20.05.2017 एवं 14.09.2017 को भी सुनवाई पश्चात सूचक के पक्ष में आदेश पारित हुआ। दिनांक 23.10.2017 को श्रीमान् अंचलाधिकारी महोदय किसनपुर द्वारा श्रीमान को आवेदन अग्रसारित कर उपरोक्त व्यक्ति पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया तथा अभियुक्तों द्वारा कहा जाता है कि साले चमरवा अगर खेत पर आया तो जान मारकर नदी में फेंक देंगे तथा सूचक का जमीन पूर्ण रूपेण अतिक्रमण कर लिया है।

सूचक के लिखित आवेदन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच जमीन संबंधी विवाद है तथा प्रार्थी के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, किस दिन के घटना को लेकर यह मुकदमा दर्ज करवा गया है यह प्राथमिकी में स्पष्ट नहीं है तथा इस वाद के सह अभियुक्त पप्पु कुमार को पूर्व में जमानत दिया जा चुका है और प्रार्थी का वाद भी समानतल पर है। फलस्वरूप उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ। तदनुसार प्रार्थी की और से मो0 10,000 रूपये के व्यक्तिगत एवं सामान राशि के दो–दो प्रतिभूओं के साथ बंध–पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अण्डरटैंकिंग दाखिल करेंगे की न्यायालय मे प्रत्येक तिथि को उचित पैरवी करेगें तथा न्यायालय के बुलाने पर सदैह उपस्थित रहेगें तथा लगातार दो तिथी तक अनुपस्थित रहने पर विद्वान न्यायालय बंध–पत्र रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा वाद के अनुसंधान वो त्वरित निस्तारण में सहयोग करेगें तथा किसी भी साक्षियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप प्रभावित नहीं करेंगें ।

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
सुपौल